न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
003/2018 (GCMS 2018/00139)	01.08.2018	08.07.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मुमताज पत्नि खाजुखां जाति मुसलमान उम्र वयस्क।
2. श्रीमती सदल बेगम पत्नि नुर मोहम्मद शेख जाति मुसलमान उम्र वयस्क।
3. श्रीमती हसीनाबानू पत्नि समरोश खां जाति मुसलमान उम्र वयस्क।
4. श्रीमती सब्बरबानू पत्नि नजीर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वयस्क।
5. सत्तार खां पिता रोशन खां जाति मुसलमान उम्र वयस्क।
6. मुनीर खां पिता रोशन खां जाति मुसलमान उम्र वयस्क।
7. गुल मोहम्मद रोशन खां जाती मुसलमान उम्र वयस्क।
8. श्रीमती बानु बेगम पत्नि फेज मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वयस्क।
9. लाल मोहम्मद पिता जान मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वयस्क।
10. नजीमोहम्मद पिता जान मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वयस्क समस्त निवासी निकुम्भ

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::–

उपस्थिति :– श्री भैरूलाल सालवी, एक तरफा — राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:06 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा निकुम्भ के ग्वालियर स्टेट के राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 1078/34 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिसके पुराने नम्बर 1096 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म काली3 के नाम चरनोई के नाम राजस्व रेकार्ड में चरनोई के नाम दर्ज रिकार्ड है। अवलोकनार्थ, ग्वालियर स्टेट की जमाबन्दी नकल संलग्न है। उक्त जिसके आराजी नम्बर 1078/34 है सम्वत् 2026 की जमाबंदी अनुसार तलाई के नाम दर्ज रेकार्ड थी। अवलोकनार्थ सम्वत् 2026 की जमाबंदी नकल सलग्न है। उक्त भूमि फाईल संख्या 193 दिनांक 31.08.1965 द्वारा बिलानाम आराजी नम्बर 1078/34 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म बिलानाम, बिलानाम भूमि पर नाजायज कब्जा होने से 5 बिस्वा भूमि खातेदारी दी गई। जिसको नामान्तरण संख्या 685 दिनांक 18.08.1969 से श्री सरवर खां पिता बखतावर खां के नाम दर्ज की गई। अवलोकनार्थ, नामान्तरण, व आदेश की छाया प्रति संलग्न हैं। उक्त भूमि आराजी नम्बर 1078/34 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा जो विरासत से विपक्षीगण के नाम नामान्तरण संख्या ..... दिनांक ..... से दर्ज किया है। वह माननीय न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के प्रकरण संख्या एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 में बिन्दु संख्या 1 व 4 विरूद्ध होने से नदी/नाला/केचमेंट एरिया एंव पेटा के प्राकृतिक स्वरूप को नहीं बदल 15 अगस्त 1947 के रिकार्ड एंव मौके की स्थिति रखने के आदेश पारित किये गये है। जिसके अनुसार मौके व रिकार्ड कि स्थिति में परिवर्तन कर उक्त आराजी सरवर खां पिता बखतावर खां कि विरासत से विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कर माननीय न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के निर्णय अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील/नदी/तालाब/नाला/केचमेन्ट एरिया आदि जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी के अधिकार अर्थभुत नहीं होते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि रेफरेन्स स्वीकार करना फरमावे।

प्रार्थी तहसीलदार बडीसादडी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का बिछोर दिनांक 04.07.2018, नकल जमाबंदी मौजा निकुंभ संवत् 1993, नकल जमाबंदी मौजा निकुंभ संवत 2026–2029, नकल जमाबंदी मौजा निकुंभ खाता संख्या 148 संवत 2070–2073, मिलान खसरा मौजा निकुंभ, आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 302/63 दिनांक 17.03.1964, नामान्तरकरण संख्या 685 मौजा निकुंभ दिनांक 18.08.1966, नामान्तरकरण संख्या 1295 मौजा निकुंभ दिनांक 26.07.1984, नामान्तरकरण संख्या 1659 मौजा निकुंभ दिनांक 25.06.1989, नामान्तरकरण संख्या 2504 मौजा निकुंभ दिनांक 10.12.1999, नामान्तरकरण संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:06 IST
Reason: SelfAttested

2698 मौजा निकुंभ दिनांक 22.11.2004, नामान्तरकरण संख्या 2713 मौजा निकुंभ दिनांक 22.11.2004, नामान्तरकरण संख्या 2741 मौजा निकुंभ दिनांक 16.12.2004, नामान्तरकरण संख्या 2836 मौजा निकुंभ दिनांक 02.09.2006, नामान्तरकरण संख्या 3147 मौजा निकुंभ दिनांक 20.02.2010, नामान्तरकरण संख्या 3454 मौजा निकुंभ दिनांक 20.02.2013, नामान्तरकरण संख्या 13 मौजा निकुंभ दिनांक 05.09.2013, नामान्तरकरण संख्या 91 मौजा निकुंभ दिनांक 14.11.2014 पेश किये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

प्रार्थी तहसीलदार बडीसादडी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 11.03.2020 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा की गई। दिनांक 08.07.2021 को राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि मौजा निकुम्भ के ग्वालियर स्टेट के राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 1078/34 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिसके पुराने नम्बर 1096 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म काली3 के नाम चरनोई के नाम राजस्व रेकार्ड में चरनोई के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त जिसके आराजी नम्बर 1078/34 है सम्वत् 2026 की जमाबंदी अनुसार तलाई के नाम दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि प्रकरण संख्या 302/1963 दिनांक 17.03.1964 द्वारा बिलानाम आराजी नम्बर 1078/34 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म बिलानाम, बिलानाम भूमि पर नाजायज कब्जा होने से 5 बिस्वा भूमि खातेदारी दी गई। जिसको नामान्तरण संख्या 685 दिनांक 18.08.1966 से सरवर खां पिता बखतावर खां के नाम दर्ज की गई। उक्त भूमि जो विरासत से विपक्षीगण के नाम से दर्ज किया है। वह माननीय न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के प्रकरण संख्या एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 में बिन्दु संख्या 1 व 4 विरूद्ध होने से नदी/नाला/केचमेंट एरिया एंव पेटा के प्राकृतिक स्वरूप को नहीं बदल 15 अगस्त 1947 के रिकार्ड एंव मौके की स्थिति रखने के आदेश पारित किये गये है। जिसके अनुसार मौके व रिकार्ड कि स्थिति में परिवर्तन कर उक्त आराजी सरवर खां पिता बखतावर खां कि विरासत से विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कर माननीय न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के निर्णय अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 86 व राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील/नदी/तालाब/नाला/ केचमेन्ट एरिया आदि जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी के अधिकार अर्थभुत नहीं होते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि रेफरेन्स स्वीकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:06 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करना फरमावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। तथ्यों का गहनता पूर्वक चिंतन/मनन/परिशीलन किया गया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार बडीसादडी द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ तहसील बडीसादडी की साबिक आराजी संख्या 1096 किस्म काली 3 राजकीय भूमि चरनोई दर्ज रेकार्ड रही है जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा निकुंभ संवत् 1993 से होती है। साबिक आराजी संख्या 1078/34 रकबा 3 बिस्वा भूमि जरिये मिसल संख्या 302/63 से दिनांक 17.03.1964 से आवंटित की गई। जिसकी ताईद आवंटन आदेश दिनांक 17.03.1964 से होती है। जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नामान्तरकरण संख्या 685 दिनांक 18.08.1966 से होता है। साबिक आराजी संख्या 1078/34क रकबा 3 बिस्वा भूमि के भू–प्रबंध से नवीन नंबर आराजी संख्या 3931 रकबा 0.03 हैक्टर कायम किये गये जिसकी ताईद मिलान खसरा से होती है। उक्त आराजीयात विभिन्न नामान्तरकरण से वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज अभिलिखित है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के विविध प्रावधानों के विपरित पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त विवादित आराजीयात जो कि किस्म चरनोई रही है नियमानुसार उक्त भूमि व्यक्ति विशेष के खातेदारी में रहने योग्य नहीं होने से बिलानाम किये जाने हेतु प्रार्थी तहसीलदार बडीसादडी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत प्रस्तुत किया गया है। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 का अवलोकन किया। अधिनियमों में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

82. Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board –

The Settlement Commissioner or the Director of Land Records 61[or a Collector] may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings; and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement; and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:06 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

232. Power to call for record and refer to the Board—

The Collector may call for and examine the record of any case or proceedings decided by or pending before and revenue court subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order or decree passed and as to the regularity of the proceedings, and, if he is of opinion that the order or decree passed or the proceeding taken by such court should be varied, cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board shall, thereupon, pass such order as it thinks fit:

Provided that the power conferred by this section shall not be exercised in respect of suits or proceedings falling within the purview of section 239

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत जिला कलक्टर को अधीनस्थ किसी न्यायालय या राजकीय अधिकारी के द्वारा निर्णित प्रकरण या कार्यवाही के अभिलेख को मंगाने एवं परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसा परीक्षण इस दृष्टि से किया जाता है कि प्रश्नगत निर्णय की विधिकता, औचित्य एवं कार्यवाहियों की नियमितता रही है या नहीं, इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत जिला कलक्टर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये राजस्व मामलों के अभिलेख को तलब कर परीक्षण कर सकता है और परीक्षण उपरान्त अपनी राय का उल्लेख करते हुए विवादित आदेश को निरस्त/संशोधित व बदलने के लिये माननीय राजस्व मण्डल को रेफर कर सकता है। उक्त दोनों प्रावधानों में समय सीमा विहित नहीं की गई है।

विवादित आराजीयात आराजी संख्या 3931 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गे.मु.चाह अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज अभिलिखित है जिसकी ताईद मौजा निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ नकल जमाबंदी संवत् 2070–73 खाता संख्या 148 से होती है। मौजा निकुंभ की जमाबंदी संवत् 1993 के अनुसार विवादित राजकीय आराजीयात दर्ज अभिलिखित रही है। उक्त आराजीयात साबिक नंबर 1078/34 कायम किये गये। एवं कालांन्तर में साबिक आराजी संख्या 1078/34 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से रकबा 3 बिस्वा भूमि मिसल संख्या 302/63 दिनांक 17.03.1964 से आवंटित की गई जो कि वर्तमान में आराजी संख्या 3931 रकबा 0.03 हैक्टर अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज अभिलिखित है। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाने से पत्रावली पर किसी भी प्रकार खण्डन उपखण्ड नहीं है, ऐसी स्थिति में यह तथ्य प्रकट होता है कि उक्त विवादित आराजीयात संवत् 1993 में राजकीय भूमि दर्ज रेकार्ड रही है एवं उसके पश्चात् कालान्तर में यह खातेदारी से दर्ज अंकित की गई है। हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजीयात संवत् 1993 में राजकीय भूमि दर्ज अभिलिखित रही है, उसके पश्चात् कालान्तर में उक्त आराजीयात खातेदारी अधिकारों से दर्ज अभिलिखित की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण माननीय राजस्व

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:06 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मण्डल, राजस्थान के विचारण योग्य प्रतीत होता है एवं रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर तहसीलदार बडीसादडी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बडीसादडी को निर्देशित किया जाता है कि मौजा निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ तहसील बडीसादडी की आराजी संख्या 3931 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गे.मु.चाह जो कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज अभिलिखित है कि खातेदारी समाप्त किये जाने बाबत् रेफरेंस माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान के समक्ष आगामी 3 माह में आवश्यक रूप से नियमानुसार मय सुसंगत दस्तावेज के प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करावें। इस हेतु तहसीलदार बडीसादडी को निर्णय की अतिरिक्त 2 प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जावें। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से समक्ष रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने तक अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजीयात मौजा निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ तहसील बडीसादडी की आराजी संख्या 3931 रकबा 0.03 हैक्टर को रहन, बह एवं बक्षीश इत्यादि से किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बडीसादडी को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **08.07.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन)चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:06 IST
Reason: SelfAttested